



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F-6 (5)ACQ/SE-EXTN./2014/

दिनांक : / / 2020

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 03-03-2020 में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1554/2004 के निर्णय दिनांक 12-01-2017 की अनुपालना में न्यास की साउथ एक्सटेन्शन विस्तार योजना A, B, C & D से लगती हुई 200 फीट सड़क का मार्गाधिकार व दक्षिण विस्तार योजना की अन्य सड़कों की रोड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना था। अतः नियमन से पूर्व इन उल्लेखित योजनाओं दक्षिण विस्तार योजना के रोड नेटवर्क हेतु सेक्टर प्लान न्यास द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें निम्नलिखित खसरा भूमि सम्मिलित है:-

A Extn. राजस्व ग्राम बलीचा के खसरा संख्या 1197, 1205 से 2013, 1771, 1773, 1774, 1776, 1777, 1778 मीन, 1780, 1782, 1784 से 1787, 1876/1786, 1775, 1779, 1783, 2093/1789, 1788 मीन, 1789 मीन, 1196, 1215 से 1218, 1198 से 1202, 1359, 1336 मीन, 1737 मीन, 1339 मीन, 1304, 1332, 1333, 1329, 1203, 1204, 2091/1788, 1937/1336, 1938/1337, 1939/1339, 1348, 1349, 1353 से 1356, 2030/1351, 1351, 1350, 1352, 1334, 1340 से 1347, 1775, 1779, 1755 से 1759, 1733, 1338, 1328

C Extn. राजस्व ग्राम नैला के खसरा संख्या 2871, 2873, 2875, 2868 मीन, 2870, 4265/2868, 2866, 2867, 2855 से 2865, 2869, 4104/2867, 2869, 4104/2867 2904 से 2910, 2926 से 2947, 2866, 2867, 2899, 2892 से 2898, 2874, 2876, 2878, 2879, 2884 से 2891, 2900 से 2903, 2868, 2870, 2877, 2881, 2882, 2883, 1984 से 1995, 1999 पार्ट, 1996 पार्ट, 4137/2006 पार्ट, 2003 पार्ट, 2000

D Extn. राजस्व ग्राम तितरडी के खसरा संख्या 2991 मीन, 2992 मीन, 2994, 3583/2993, 2993 मीन, 3586/2991, 3587/2992, 2990, 2989, 2729, 2727, 2965 मीन, 2722, 2721, 2988, 2996 से 3002, 3005 से 3010, 3276/2997, 2966, 2968, 2969, 2970, 2997 मीन, 2971, 2714, 2715, 2718, 2719, 2720, 2967

इस सेक्टर प्लान का प्रकाशन आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु आज दिनांक 16-06-2020 से 15-07-2020 तक 30 दिवस की अवधि के लिए किया जा रहा है। उक्त समयावधि में रोड नेटवर्क हेतु तैयार सेक्टर प्लान पर किसी भी व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई भी आपत्ति/सुझाव हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। "प्रस्तुत आपत्ति/सुझाव पर परीक्षण उपरान्त निर्णय प्राथमिकता पर न्यास स्तर पर किया जावेगा।"

उक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर एवं न्यास की वेबसाइट पर भी रोड नेटवर्क हेतु तैयार सेक्टर प्लान का अवलोकन किया जा सकता है।

(अरुण कुमार हसीजा)

सचिव,

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।